उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद सं0 – 18/2023

विश्वनाथ गुप्ता बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
18.04.2023	**आदेश** यह वाद अपीलार्थी विश्वनाथ गुप्ता, पिता–स्व० फेकन राम गुप्ता, निवास ग्राम–बरलंगा, थाना–बरलंगा, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर W.P.(C) No.-2643/2014 Bishwanath Gupta Vrs. The State of Jharkhand & Ors. में दिनांक–18.02.2019 को पारित आदेश के आलोक में विविध वाद 12/2020 दायर किया गया था। लेकिन आवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक–27.12.2022 का वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त कर दी गई। आवेदक के द्वारा पुनः U/S 151 of C.P.C 1908 के तहत सुनवाई हेतु आवेदन दायर किया गया जिसके आलोक में यह वाद प्रारम्भ किया गया प्रविष्टि की बिन्दु के सुनवाई के समय ही आवेदक के अनुरोध पर मूल अभिलेख (विविध वाद 12/2020) को इस वाद के साथ ही उपस्थापित किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया। सुनवाई के दौरान विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–हेठबरगा, थाना–बरलंगा, थाना सं०–89 के खाता सं०–69, प्लॉट नं०–1350 रकवा–0.06 ए० भूमि बिना किसी मुआवजा भुगतान के रैयती जमीन पर थाना का निर्माण कर दिया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में .P.(C) No.-2643/2014 Bishwanath Gupta Vrs. The State of Jharkhand & Ors. दायर किया गया जिसमें अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई करते हुए Speaking Order पारित करने का माननीय उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा आदेश पारित	

किया गया। उक्त भूमि मुझे निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक–11.10.1982 को प्राप्त है। लेकिन थाना निर्माण के दौरान मेरी 06 डी० भूमि अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। अनुरोध है कि 06 डी० भूमि का मुझे मुआवजा दिया जाय।

उक्त आवेदन के आलोक में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–हेठबरगा, थाना नं०–89 के खाता सं०–69, प्लॉट नं०–1350 रकवा–0.12 ए० भूमि बिक्रेता गोविन्द ताती, पिता–स्व० चाचु ताती जाति–ताती साकिन–बरलंगा क्रेता विश्वनाथ गुप्ता वो राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पिता–फेकन राम दर्ज है। ग्राम–हेठबरगा थाना नं०–89 के खाता सं०–69, प्लॉट नं०–1350 का सर्वे खतियान बिक्रेता के परदादा बैजनाथ ताती वगै० के नाम से रैयती है। अंचल अमीन के प्रश्नगत भूमि मापी से स्पष्ट हुआ कि ग्राम–हेठबरगा थाना नं०–89 के खाता सं०–69, प्लॉट नं०–1350 रकवा–0.05 ए० (पाँच डी०) भूमि थाना के चाहरदीवारी के अन्दर है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ 0.05 ए० भूमि का भू–अर्जन हेतु सक्षम स्तर से विहित प्रपत्र में अधियाचना पत्र की माँग की गई। लेकिन पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा अधियाचना संबंधी कार्रवाई नहीं की गई। सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि यदि रैयती भूमि का उपयोग सरकारी कार्यो में किया जाता है। तो रैयत को "The Right to Feir Compensation and Treanspaency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act- 2013" के तहत मुआवजा भुगतान का प्रावधान है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, अंचल अधिकारी, गोला, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़, पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, अंचल अधिकारी, गोला, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़, पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम-हेठबरगा थाना नं०-89 के खाता सं०-69, प्लॉट नं०-1350 का सर्वे खतियान बिक्रेता के परदादा बैजनाथ ताती वगै० के नाम से रैयती है। जिसमें रकवा-0.05 ए० भूमि थाना के चारहदीवारी के अन्दर है। "The Right to Feir Compensation and Treanspaency in Land Aequisition Rehabilitation and Resettlement Act- 2013" के प्रावधान के तहत् रैयत को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में अपीलार्थी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। अनुपालन हेतु आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, रामगढ़, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, गोला को भेजे। इसके साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
18.5.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
18.5.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.05.23 11:25:04 +05:30
Location: 192.168.0.185